

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2017/ज्येष्ठ 23, 1939 No. 481] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2017/JYAISTHA 23, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2017

सा.का.नि. 583(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 462 की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 05 जून, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 464(अ) तारीख 5 जून, 2015 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिसूचना कहा गया है) का लोकहित में संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. मूल अधिसूचना में सारणी में विद्यमान क्रम संख्या 1 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों को क्रम संख्या 1क के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः क्रमांकित क्रम संख्या 1क और उससे संबंधित प्रविष्टियों से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"1	अध्याय 1	परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
	धारा 2 का खंड (40)	"परंतु कि एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी, निष्क्रिय कंपनी और निजी कंपनी (यदि ऐसी प्राइवेट कंपनी एक स्टार्ट-अप है तो) के संबंध में वित्तीय विवरण में नगदी प्रवाह के विवरण को सम्मिलित नहीं किया जाए;
		स्पष्टीकरणः इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, 'स्टार्ट-अप' या 'स्टार्ट-अप कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कोई निजी कंपनी और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनी अभिप्रेत है।"

3705 GI/2017 (1)

3. मूल अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"6	अध्याय 5, धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (ड़)	किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे – (अ) जो अपने सदस्यों से समादत्त शेयरपूंजी, खुली आरक्षितियों और प्रतिभूति प्रिमियम खाते के योग से एक सौ प्रतिशत से अनधिक राशि स्वीकार करती है; या (आ) जो उसके निगमन की तारीख से पांच वर्ष के लिए स्टार्ट-अप है; या
		(ई) जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात्:- (क) जो किसी अन्य कंपनी की कोई सहयुक्त या समनुषंगी कंपनी नहीं है;
		(ख) यदि ऐसी किसी कंपनी की बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं या अन्य किसी कारपोरेट निकाय से उधारी इसकी समादत्त शेयरपूंजी के दुगुने या पचास करोड़ रुपए, जो भी न्यूनतम है, से कम है; और
		(ग) ऐसी कंपनी ने जिसने इस धारा के अधीन जमा स्वीकार करते समय विद्यमान ऐसी उधारियों के प्रति संदाय में कोई चूक नहीं की है; परंतु कि खंड (अ), (आ) या (ई) में विनिर्दिष्ट कंपनी, रजिस्ट्रार को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे फाइल करेगी;

4. मूल अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"6क	अध्याय 7, धारा 92 की	उन प्राइवेट कंपनियों को, जो लघु कंपनियां है, पर लागू होगा अर्थात्:-
	उपधारा (1) का खंड (छ)	"(छ) निदेशकों द्वारा आहरित पारिश्रमिक की कुल रकम।"।
6ख	अध्याय 7, धारा 92 की उपधारा (1) का परंतुक	परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:- परंतु कि एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी और कोई प्राइवेट कंपनी, (यदि ऐसी प्राइवेट कंपनी, एक स्टार्ट-अप कंपनी है) के संबंध में वार्षिक विवरणी पर कंपनी सचिव द्वारा या जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है वहां कंपनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. मूल अधिसूचना में क्रम संख्या 9 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् –

(1)	(2)	(3)
"9क	अध्याय 10, धारा 143	ऐसी किसी प्राइवेट कंपनी के लिए लागू नहीं होगा –
	की उपधारा (3) का	(i) जो एकल व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनी है; या
	खंड (i)	(ii) जिसका अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार व्यापारावर्त पचास करोड़
		रूपए से कम है या जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय बैंकों या वित्तीय संस्थाओं या
		अन्य किसी कारपोरेट निकाय से ली गई कुल उधारी पच्चीस करोड़ रुपए से कम है।"।

6. मूल अधिसूचना में, क्रम सं 11 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् -

(1)	(2)	(3)
"11क	अध्याय 12, धारा 173	उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-
	की उपधारा (5)	(5) किसी एकल व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी निष्क्रिय कंपनी और प्राइवेट कंपनी, (यदि ऐसी
		प्राइवेट कंपनी एक स्टार्ट-अप है) को इस धारा के उपबंधों का पालन किया गया समझा
		जाएगा, यदि उसके द्वारा प्रत्येक आधे कैलैंडर वर्ष में निदेशक बोर्ड की कम से कम एक बैठक
		आयोजित की गई हो और दो बैठकों के बीच में नब्बे दिन से अनधिक का अंतराल न हो;
		परंतु इस उपधारा और धारा 174 में अंतर्विष्ट कोई बात उस एकल व्यक्ति कंपनी को लागू
		नहीं होगी जिसमें उसके निदेशक बोर्ड में केवल एक निदेशक है।
11ख	अध्याय 12, धारा 174	इस अपवाद के साथ लागू होगी कि हितबद्ध निदेशक की भी धारा 184 के अनुसरण में
	की उपधारा (3)	उसके हित के प्रकटीकरण के पश्चात् ऐसी बैठक की गणपूर्ति में गणना की जा सकेगी।"

7. मूल अधिनियम में पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "2क. पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित अपवाद, उपांतरण या अनुकूलन ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए लागू होंगे जिसने रजिस्ट्रार को उक्त अधिनियम की धारा 137 के अधीन अपने वित्तीय विवरण या उक्त अधिनियम की धारा 92 के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने में चूक नहीं की है।"।

[फा. सं. 1/1/2014-सीएल.V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

- टिप्पणः 1. इस अधिसूचना की एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 462 की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप रूप में रखी गई है।
 - 2. मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. संख्याक 464(अ) तारीख 05 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2017

- **G.S.R. 583(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 462 and in pursuance of sub-section (2) of section 462 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, in the interest of public, hereby amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs, *vide* number G.S.R. 464(E) dated the 5th June, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th June 2015 (hereinafter referred to as the principal notification), namely:-
- 2. In the principal notification, in the Table, the existing serial number 1 and the entries relating thereto shall be renumbered as serial number 1-A, and before the serial number 1A as so re-numbered and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"1.	Chapter I,	For the proviso, the following shall be substituted, namely:-
		Provided that the financial statement, with respect to one person company, small company,
	section 2.	dormant company and private company (if such private company is a start-up) may not include
		the cash flow statement;
		Explanation For the purposes of this Act, the term 'start-up' or "start-up company" means a
		private company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Companies
		Act, 1956 (1 of 1956) and recognised as start-up in accordance with the notification issued by the
		Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.".

3. In the principal notification, in the Table, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"6.	Chapter V,	Shall not apply to a private company-
	clauses (a) to (e) of sub-section (2) of section 73.	(A) which accepts from its members monies not exceeding one hundred per cent. of aggregate of the paid up share capital, free reserves and securities premium account; or
	or section 73.	(B) which is a start-up, for five years from the date of its incorporation; or
		(C) which fulfils all of the following conditions, namely:-
		(a) which is not an associate or a subsidiary company of any other company;
		(b) if the borrowings of such a company from banks or financial institutions or any body corporate is less than twice of its paid up share capital or fifty crore rupees, whichever is lower; and
		(c) such a company has not defaulted in the repayment of such borrowings subsisting at the time of accepting deposits under this section:
		Provided that the company referred to in clauses (A), (B) or (C) shall file the details of monies accepted to the Registrar in such manner as may be specified.".

4. In the principal notification, in the table, after serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"6A.	Chapter VII, clause (g) of sub-section (1) of section 92	Shall apply to private companies which are small companies, namely:- "(g) aggregate amount of remuneration drawn by directors;".
6B.	Chapter VII, proviso to sub-section (1) of section 92	For the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:- Provided that in relation to One Person Company, small company and private company (if such private company is a start-up), the annual return shall be signed by the company secretary, or where there is no company secretary, by the director of the company.".

5. In the principal notification, after serial number 9, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"9A.	Chapter X, clause (i) of sub-section (3) of section 143.	Shall not apply to a private company:- (i) which is a one person company or a small company; or (ii) which has turnover less than rupees fifty crores as per latest audited financial statement or which has aggregate borrowings from banks or financial institutions or any body corporate at any point of time during the financial year less than rupees twenty five crore."

6. In the principal notification, after serial number 11, the following serial numbers and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"11A.	Chapter XII, sub-section (5) of section 173.	For sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:- (5) A One Person Company, small company, dormant company and a private company (if such private company is a start-up) shall be deemed to have complied with the provisions of this section if at least one meeting of the Board of Directors has been conducted in each half of a calendar year and the gap between the two meetings is not less than ninety days: Provided that nothing contained in this sub-section and in section 174 shall apply to One Person Company in which there is only one director on its Board of Directors.

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

11B.	Chapter XII,	Shall apply with the exception that the interested director may also be counted towards
	sub-section (3)	quorum in such meeting after disclosure of his interest pursuant to section 184.".
	of section 174.	

- 7. In the principal notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-
- "2A. The exceptions, modifications and adaptations provided in column (3) of the aforesaid Table shall be applicable to a private company which has not committed a default in filing its financial statements under section 137 of the said Act or annual return under section 92 of the said Act with the Registrar."

[F. No. 1/1/2014-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

- **Note: -** 1. A copy of this notification has been laid in draft before both Houses of Parliament as required by sub-section (2) of section 462 of the said Act.
 - 2. The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 464(E) dated the 5th June, 2015.